मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक/170/3196/09/10—2 भोपाल,दिनांक 13जनवरी, 2010

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी,
भोपाल.

3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय,
मध्यप्रदेश.

4. समस्त वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय
मध्यप्रदेश.

विषयः—छापामार कार्यवाही की सूचना बाबत।

संदर्भः— इस विभाग का पत्र क्रमांक 2640/3196/09/10—2, दिनांक 25 नवम्बर, 2009

——0——

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों/उड़नदस्तों द्वारा दर्ज वन अपराध प्रकरणों की सूचना तथा प्रकरणों में जप्त अपराध में प्रयुक्त उपकरण, वाहन आदि की पूर्ण जानकारी पत्र में उल्लेखित कार्यालयों को कार्यवाही के तत्काल बाद दूरभाष पर तथा पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाये।

वन विभाग में प्रति माह अत्यधिक संख्या में वन अपराध प्रकरण दर्ज होते हैं। इन सभी प्रकरणों का वरिष्ठ कार्यालय अथवा शासन स्तर पर संज्ञान लिया जाना कठिन है। अतः शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देश में अंशिक संशोधन करते हुए केवल निम्नलिखित श्रेणी के वन अपराध प्रकरणों की सूचना मा0 मंत्री जी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (मोबाइल नम्बर 09424790062) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण, को वन अपराध प्रकरण दर्ज किए जाने के तत्काल बाद उसी दिन दी जाए :—

1. यांत्रिकीय वाहन जप्ती के प्रकरण.
2. रूपये एक लाख से अधिक मूल्य के वनोपज जप्ती के प्रकरण.
3. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची —I एवं II के भाग— II अथवा संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य) से संबंधित वन अपराध प्रकरण।

कृपया इन निर्देशों का नियमित पालन सुनिश्चित करें।

12/1/10

(सत्यानन्द)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठां क्रमांक 171/3196/09/10—2 भोपाल,दिनांक 12जनवरी 2010

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आपके कार्यालय में ऐसी व्यवस्था करें कि प्रति दिन प्राप्त सूचनाओं की जानकारी संकलित कर मा0 वन मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. को प्रेषित की जाए।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा0 वन मंत्रीजी, भोपाल

12/1/10

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

171/3196/

पृष्ठां क्रमांक /09/10-2 भोपाल,दिनांक 12 जनवरी, 2010

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आपके कार्यालय में ऐसी व्यवस्था करें कि प्रति दिन प्राप्त सूचनाओं की जानकारी संकलित कर मा0 वन मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. को प्रेषित की जाए।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा0 वन मंत्रीजी, भोपाल

12/1/10

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग